न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 439/2018

नारायणसिंह पुत्र कल्याणसिंह व अन्य
बनाम
कुसुम राठौड पत्नी विक्रमादित्य सिंह वगैरा

दिनांक 02/12/24

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी फलौदी (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 3179/2018 अनवान कुसुम बनाम तहसीलदार लोहावट में पारित आदेश दिनांक 30.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के स्वीकार कर, प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थीया–कुसुम राठौड ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील लोहावट स्थित ग्राम सांवलनगर के खसरा नं0 273 रकबा 60 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी तथा 1/2 हिस्सा कब्जाकाश्त, संयुक्त रकबा 60 बीघा की राजस्व नक्शें में तरमीम, प्रार्थना पत्र में वर्णित नजरी नक्शा अनुसार करवाने का आग्रह किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार लोहावट को दस्तावेज तथा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करने हेतु आदेशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं व्याक्याती भूल की है। रेस्पो0 के पूर्व प्रार्थना पत्र में माफिक विभाजन की डिक्री तथा वर्तमान प्रार्थना पत्र में मौका कब्जा काश्त अनुसार तरमीम की प्रार्थना की गई, जिसे विचारण न्यायालय ने माफिक डिक्री तरमीम के आदेश के साथ निर्णय की अंतिम पक्ति में रिपोर्ट–माफिक नजरी नक्शा तरमीम करने का आदेश भी दे दिया गया। इस प्रकार उक्त आदेश परस्पर विरोधाभासी होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने फार्म नं0 3 के साथ प्रकरण में सहा0 कलेक्टर फलौदी के राजस्व वाद सं0 9/91 में पारित निर्णय दिनांक 28.1.91 व डिगरी मय नजरी नक्शा की

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो0सं0 1–प्रार्थीया ने उक्त खसरान की 30 बीघा भूमि सह–खातेदार मधुसुदन से खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। विक्रेता मधुसूदन विभाजन के वाद संख्या 09/1991 में पक्षकार था एवं माफिक राजीनामा इस वाद में विभाजन की डिक्री जारी की गई थी। उक्त राजीनामें के साथ नजरी नक्शा संलग्न किया हुआ है। जिसमें मधुसूदन के हिस्से में आने वाली जमीन खसरा नं0 273 को अंतिम पूर्वी सीमा पर दर्शायी हुई है एवं इस भूमि का हस्तांतरण उसके द्वारा रेस्पो0सं0 1 को किया गया, जो बेचाननामें के अवलोकन से स्पष्ट है। जबकि रेस्पो0सं0 1 द्वारा उसकी खरीदशुदा भूमि सड़क के पास बता दी गई। जहां पर अपीलार्थी के मकान पहले से बने हुए है, क्योकि यह भाग विभाजन की डिक्री में अपीलार्थी के हिस्से में रखा हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र में ख0नं0 273 के अन्य सहखातेदार को पक्षकार नही बनाया गया तथा पहली पेशी में ही बिना किसी जांच के व पूर्व पारित डिक्री के बारे में बिना कोई जांच किये एवं तहसीलदार की रिपोर्ट को नजर अंदाज करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थीया–कुसुम राठौड ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र मय आवश्यक दस्तावेज यथा–पूर्व में तहसीलदार फलौदी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अंकित तहसीलदार की रिपोर्ट, विक्रय–विलेख, दिनांक 9.5.18 को प्रार्थीया के पति विक्रमादित्य द्वारा संयुक्त खातेदारी ख0नं0 273 की तरमीम संबंधी प्रार्थना पत्र जिस पर तहसीलदार लोहावट के पृष्ठांकन कमांक 141 दिनांक 10.5.18 द्वारा मूल ही भू.अ.नि./पटवारी को मौकानुसार, नियमानुसार तरमीम कार्य करने हेतु प्रेषित किया गया व उसके साथ नारायणसिंह द्वारा माफिक डिक्री पर्चा नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय वाद सं0 9/91 में पारित डिगरी जो तहसीलदार के पृष्ठांकन कमांक 141 दिनांक 10.5.18 द्वारा मूल ही भू.अ.नि./पटवारी को न्यायालय के डिक्री आदेश की नियमानुसार पालना हेतु प्रेषित किया गया। उक्त पत्रांक 141 दिनांक 10.5.18 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलौदी को प्रेषित रिपोर्ट में मुख्यतः ''मौका कब्जा तथा डिक्री के साथ संलग्न नक्शें में भिन्नता होने से डिक्री अनुसार तरमीम करने पर विवाद की पूर्ण संभावना होने के उल्लेख के साथ मार्गदर्शन हेतु लिखा गया है। अतः उक्त समस्त तथ्यों

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। आलौच्य प्रकरण में प्रश्नगत आराजियात की राजस्व नक्शें में तरमीम हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। क्योकि प्रकरण में सहायक कलेक्टर फलौदी (जोधपुर) के राजस्व वाद मुकदमा सं0 9/91 उनवान पूनमचंद व अन्य बनाम मधुसूदन वगैरा में राजीनामे के अनुसार पारित निर्णय दिनांक 28.1.91 व इसकी पालना में पारित डिगरी अनुसार तहसीलदार फलौदी को तमाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेशित किया गया है। अतः प्रकरण में न्यायालय निर्णय की पालना में माफिक विभाजन की डिक्री मय नजरी नक्शा अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में समस्त इन्द्राजात किया जाना न्यायसंगत है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 3179/2018 अनवान कुसुम बनाम तहसीलदार लोहावट में पारित आदेश दिनांक 30.06.2018 निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया जाता है कि वह सहायक कलेक्टर फलौदी (जोधपुर) के राजस्व वाद मुकदमा सं0 9/91 उनवान पूनमचंद व अन्य बनाम मधुसूदन वगैरा में राजीनामे के अनुसार पारित निर्णय दिनांक 28.1.91 व इसकी पालना में पारित माफिक डिगरी पर्चा व नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड एवं नक्शें में इन्द्राज करावे।

निर्णय आज दिनांक 02.12.24 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

02.12.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर